राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 18.05.2020

आदेश

प्रदेश में कोविड–19 से संक्रमित मरीज के सम्पर्क में आये व्यक्तियों को कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड–19) को फैलने से रोकने व संक्रमण की श्रृंखला को तोडने के लिए Home Quarantine के साथ–साथ जिलों में स्थापित संस्थागत क्वारन्टाईन केन्द्रों (Institutional Quarantine Centres) में क्वारन्टाईन किया जा रहा है। इन क्वारन्टाईन केन्द्रों में क्वारन्टाईन किये जा रहे व्यक्तियों को विभिन्न मानसिक रोगों जैसे चिन्ता (Anxiety), अवसाद (Depression) आदि से बचाये रखना तथा इन व्यक्तियों के स्वस्थ एवं सुदृढ मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखना अति आवश्यक है।

स्टेट नोडल ऑफिसर, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि वे विभिन्न जिलों में स्थापित संस्थागत क्वारन्टाईन केन्द्रों (Institutional Quarantine Centres) में क्वारन्टाईन किये गये व्यक्तियों की विभिन्न मानसिक रोगों जैसे चिन्ता (Anxiety), अवसाद (Depression) आदि से बचाने हेतु तथा इन व्यक्तियों के स्वस्थ एवं सुदृढ मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए जिला नोडल ऑफिसर, एन. एम. एच. पी. (Psychiatrist)/जिला प्रभारी, एन. एम. एच. पी. के माध्यम से प्रतिदिन स्क्रीनिंग, काउन्सिलिंग एवं आवश्यक होने पर उपचार किया जाना सुनिश्चित करावें। स्क्रीनिंग, काउन्सिलिंग व उपचार के दौरान कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु समस्त आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों (Social Distancing, Mask, Hand Hygiene etc.) की पालना सुनिश्चित की जावे। क्वारन्टाईन किये गये व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, काउन्सिलिंग व उपचार की सूचना प्रतिदिन सांय 05.00 बजे तक परियोजना निदेशक, एन. एच. एम. के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त आदेशों की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे।

18/05/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर, राज.
7. परियोजना निदेशक, एन. एच. एम.
8. स्टेट नोडल ऑफिसर, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
9. जिला नोडल ऑफिसर, एन. एम. एच. पी.
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज./समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज. को प्रेषित कर लेख है कि आपके जिले में संचालित क्वारन्टाईन केन्द्रों की सूची आज ही आपके जिले के जिला नोडल ऑफिसर, एन. एम. एच. पी. (Psychiatrist)/जिला प्रभारी, एन. एम. एच. पी. को उपलब्ध करावें।

18.5.2020
(संजय कुमार)
शासन उप सचिव